प्रेषक

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

3- आयुक्त,
उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद
बी0-1/118, विश्वास खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ ।

4- अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

5- महानिदेशक,
दीन दयाल उपाध्याय,
ग्राम्य विकास संस्थान,
लखनऊ।

6- मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 20 जुलाई, 2015**

विषय- मा0 संसद सदस्य, लोक सभा एवं राज्य सभा से प्राप्त पत्रों व संदर्भों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 संसदीय समिति, लोक सभा सचिवालय द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के साथ राज्य में एम0पी0 लैड्स के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक-10.07.2015 को अनौपचारिक विचार-विमर्श हेतु आयोजित बैठक में यह संज्ञान में लाया गया कि मा0 सांसदगण लोक सभा एवं राज्य सभा से प्राप्त पत्रों व संदर्भों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही नहीं की जा रही है व उक्त पत्रों पर लिये गये निर्णय से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है।

2- अत: मा0 संसद सदस्यों लोक सभा एवं राज्य सभा से प्राप्त पत्रों एवं उनके संदर्भों पर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय एवं उक्त प्रकरणों में लिये गये निर्णय से मा0 सांसदगण को निश्चित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाय। उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता को प्रतिकूल दृष्टि से देखा जायेगा।

भवदीय

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 31/2015/649 (1) /अइ्तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/ अनुसचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को कड़ाई से अनुपालानार्थ हेतु प्रेषित।

4- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभागों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं अनुश्रवण करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।